International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 155-156

धर्म निरपेक्षता पर गांधी और अम्बेडकर के विचार

डॉ0 आशुतोष सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (राजनीतिशास्त्र विभाग), रामप्रसाद सिंह पी0जी0 कालेज सिसवां महराजगंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

हमारा देश एक ऐसे लोकतंत्रीय एवं धर्म निरपेक्ष समाज के रूप में विकसित होना चाहता हैं, जिसमें विभिन्न समुदाय एवं सम्प्रदाय सद्भावना और विश्वास के साथ विकास की ओर अग्रसर हो सके। विभिन्न समाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराएं सवतंत्रतापूर्वक पगति कर सके और सभी व्यक्ति वैयक्तिक पूर्णता एवं समाजिक प्रगति के लिए अपनी योग्यताओं का सर्वोत्तम प्रयोग कर सके। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। धर्मनिरपेक्षता के लिए लोकतान्त्रिक व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। इसी तरह भारत जैसे बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक देश में धर्म निरर्पेक्षता के वातावरण में ही लोकतंत्र का विकास हो सकता हैं। आज संसार का ऐसा कोई देश नहीं है, जहां पर सिर्फ एक धर्म को मानने वाले लोग रहते हो। मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले देशों मे भी अन्य धर्मो के लोग रहते है। आज के समय में यह एक बड़ा सवाल है कि राज्य सरकारें को धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

धर्मनिरपेक्ष/धर्म निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म से सम्बन्धित नहीं अर्थात लौकिक।

'धर्म से' सम्बन्धित नही' का अर्थ धर्म का विरोध नहीं जैसा कि कुछ लोग मानते हैं बल्कि 'न धार्मिक न अधार्मिक न धर्म विरोधी' है।

वस्तुततः यह शब्द धार्मिक रूढ़ियो से विमुक्ता का सूचक है यह विचार धारा धर्म को एक वैयक्तिक मामला मानती है और व्यक्ति के क्या धार्मिक विचार या विश्वास है, इस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। धर्म निरपेक्ष का उल्टा थियोक्रेट या सम्प्रदाय होता है जहां धर्म या धार्मिक पुस्तको कों आधार बनाकर नियम कानून बनते है साथ ही धर्म विशेष को अधिक मान्यता मिली रहती हैं।

जिस राष्ट्र/राज्य में धर्म निरपेक्षता को अपनाया जाता है वहां ऐसा माना जाता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले से दूर रहेगे और एक दूसरे के क्षेत्रो मे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस धारणा से व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। यह धर्म निरपेक्ष का पश्चिमी माडल है।

भारतीय संस्कृति विविध धर्मो के मेल जोल से बनी है अतः यह आवश्यक था कि भारत धर्म निरपेक्षता की विचार धारा को स्वीकार करे। स्वतत्रता पूर्व और पश्चात विभिन्न साम्प्रदियक तनावो, देश के विभाजन ने इस विचार धारा की आवश्यकता को अधिक दृढ़ किया। किन्तु भारतीय संविधान निर्माताओ ने 'धर्म निरपेक्षता के पश्चिमी माडल' से अलग धर्म निरपेक्षता का वैकल्पिक माडल विकसित किया–

1. भारत मे विभिन्न धार्मिक समूह को बराबरी का दर्जा प्रदान करने लिए क्योकि यह इस प्रकार कि विषमता थी और व्यक्ति की हैसियत को धर्म से जोड़ कर देखा जाता था अतः धार्मिक समरस्ता से व्यक्तिगत समरस्ता को साधने का प्रयास किया गया है।
2. भारत मे राज्य धर्म के मामले मे हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि भारत मे रीति रिवाजों की पैठ इतनी गहरी है कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसके खात्मे की उम्मीद नहीं थी। ध्यातव्य है कि धर्म के मामले में राज्य का हस्तक्षेप स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को बढावा देने के लिए होता है। इन्ही सन्दर्भो में राज्य किसी शैक्षिक संस्था जो धर्म से जुड़ी है को अनुदान दे सकती है, धर्म विशेष को मद्द दे सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है।

अतः स्पष्ट है कि भारत में धर्म व राज्य के अलगाव का अर्थ परस्पर निषेध नहीं बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धान्तगत दूरी है। इसमे राज्य को सभी धर्मो से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनकूल धर्म के मामले मे हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामले मे दखल देने से बचा रहे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनो में से किस कदम से स्वतंत्रता, समानता और समाजिक न्याय को बढावा मिलता हैं।

भारतीय संविधान मे धर्म निरपेक्ष का प्रयोग नही है यद्यपि 42 वे संशोधन द्वारा (1976) मे पंथ निरपेक्ष[1] को जोड़ कर व्यहारिक मे पहले से अपनायी गयी सर्वधर्म सम्भाव की इस विचारधार को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी। अनुच्छेद 25 से 28 के उपबन्ध धर्म और उपासना के विषय मे समानता की प्रत्याभूति देते हैं।

भारतीय संदर्भो मे जिन दो मनीषीओ ने इस विचार धारा को सर्वाधिक महत्व दिया है उनमे गांधी और अम्बेडकर सर्वोपरि है गांधी नरम रवैया के साथ थे और अम्बेडकर को हम कुछ उग्र मान सकते है। पर दोनों के कार्य ने अन्ततः इस विचारधारा को दृढ किया। दोनों ने इस विचार धारा की शास्त्रीयता ने कुछ नूतन प्रयोग कर इसे भारतीय समाज और संस्कृति के अनुरूप बनाने का भरपूर प्रयास किया और इस कार्य मे बहुत कुछ सफल रहे।

धर्म निरपेक्षता से सम्बद्ध गांधी अम्बेडकर के विचार को हम इस प्रकार से समझ सकते है–

धर्म निरपेक्षता पर गाँधी के विचार

गाँधी एक परम्परा वादी वैष्णव परिवार में पैदा हुए थे और इस परम्परा का प्रभाव उनके उपर जीवन पर्यन्त रहा इनके दर्शन का मूल स्रोत वैदिक दर्शन है जिसके दो महान प्रणेता थे शंकर और रामानुज गांधी जी मे शंकर का प्रभाव यदा कदा दृष्टिगोचर होता है किन्तु उनकी भावना रामानुज के अधिक निकट प्रतीत होती है। सृष्टिकर्ता अगम्य अवश्य है किन्तु उसका आभास उसकी सृष्टि मे मिल सकता है। वह केवल सृजन हार ही नही तारनहार भी और हमारी प्रार्थना उसके कानो तक पहुंच सकती है। ईश्वर है इस लिये हम है। वह सबका पिता है इस लिए उसको पुत्रों को उससे मांगने का अधिकार है। उसकी कृपा से हमारे जीवन के सारे कार्य कलाप संचालित होते है।''ईशावास्यमिदं सर्व– ईश्वर सब जगह है और सब मे विद्यमान है यजुर्वेद का यह वाक्य गांधी के धार्मिक

विचारो का मूल आधार इस सत्य की अनुभूति का स्रोत तर्क नही आस्था है। यही सत्य अंतिम सत्य है, इसके बाहर निकल कर हम यथार्थ की पहचान नही कर सकते। इसी मौलिक वैद्यिक भावना से गांधी के सत्य संम्बन्धी विचार प्रस्फुटित किये है। जब गांधी से पूछा गया कि आखिर ईश्वर है क्या तो उन्होने नेति नेति' नही कहा। उन्होने एक सहज बोधगम्य उत्तर दिया सत्य ही ईश्वर है ईश्वर सत्य के अतिरिक्त और कुछ हो ही नही सकता क्यो कि जो ईश्वर है वही सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र विद्यमान है।2

गांधी जी का धर्म जाति और रूढ़ियो से मुक्त है। उसमे वैज्ञानिकता है। गांधी धर्म का मुख्य आधार नीति की शुद्धता है जिसमे त्याग, तपस्या और मानव सेवा को महत्व प्राप्त होता है। रूढ़ि और अन्धविश्वास जब धर्म पर अपना अधिकार जमा लेते है तो समाज टुकड़े –टुकड़े हो जाता है और विधवन्स तथा विनाश का ताण्डव होन लगता है। ऐसा धर्म सही अर्थो मे धर्म नही होता है यह तो अविवेक और अन्धविश्वास है गांधी जी धर्म ज्ञान के साथ कदम से कदम मिला कर चलते है। एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति मे तटस्थता, धैर्य, जिज्ञासा, अध्ययवसाय और रचनात्मक कल्पना ये प्रमुख पांच गुण होते है जो गांधी जी के आवधारणा मे विद्यामान है। 3

गांधी ने धर्म शब्द की नयी व्यख्या दी। उन्होने धर्म को पन्थों की संकीर्ण परिभाषाओ से मुक्त किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होने धर्म को नैतिक आचरण के रूप मे समझने का प्रयत्न किया। धर्म का अर्थ न हिन्दू धर्म है, न इस्लाम, न इसाई धर्म या कोई अन्य, धर्म तो मानव के अन्दर निहित सत्य की अभिव्यक्ति है। गांधी जी चाहते थे कि सब लोग धार्मिक वृत्ति के हो और अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करे। वे बराबर कहते थे कि किसी धर्म ग्रन्थ मे दूसरे के धर्म की निन्दा नही की गयी है। वे 'सर्व धर्म सम्भाव' के पक्षपाती थे। भारत जैसे देश मे जहां प्रारम्भ से ही विभिन्न मतावलम्बी लोग रह रहे है, गांधी के धर्म ने एक नयी क्रान्ति का शुभारम्भ किया। आज जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते है तेा इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमे गांधी बाद मे मिलता है। धर्म कई हो सकते है किन्तुं मर्म सबका एक है इसलिए सभी धर्म एक ही सत्य के विभिन्न रूप है। गांधी की यह देन भारत के लिए अमृत के समान है। उन्होने सर्वधर्म सम्भाव की प्रतिष्ठा करके भारत की अनेकता मे एकता की भावना जागृत की। वे धर्म विहिन राजनीति को बैईमानी मानते थे।

धर्म निरपेक्षता पर अम्बेडकर का विचार

धर्म को वे मनुष्य के लिए आवश्यक मानते थे। धर्म आवश्यक इस लिए नही है उससे मुक्ति मिलती है अथवा आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्भव होती है बल्कि इस लिए अवश्यक है कि मनुष्य एक समाजिक प्राणी है और उसके पास बैद्धिक क्षमताएं है। उनका मानना था कि मनुष्य धर्म के आभाव मे मनुष्योचित व्यवहार नही कर सकता इस लिए धर्म उसके लिए अनिवार्य है, अम्बेडकर के विचार मे धर्म कोई गहरी आध्यात्मिक आस्था नही है न ही किसी अदृश्य या अज्ञात का समास्यात्मक संकेत। यह महज एक मानवोचित अस्था है जो हमारी सामाजिक आवश्यकताओ की पूर्ति करता हैं।

धर्म की अवधारणा समानता के आधार पर अवस्थित है जो धर्म समानता का लक्ष्य प्राप्त करने मे असमर्थ हो वह धर्म नही हो सकता वह अधर्म है। चूंकि हिन्दू धर्म समानता के आधार पर नही टिका है इसलिए हिन्दू धर्म सही अर्थ मे धर्म नही है। इसमे कर्मकाण्ड की प्रधानता है और इसी के माध्यम से वर्ण व्यवस्था की उतपत्ति हुई है इसलिए इसका आधार समानता नही है और यह अपेक्षित सामाजिकता की स्थापना नही कर सकता। दलित वर्ग हमेशा अछूत समझा गया है और युगों–युगो से तिरस्कृत रहा है। हिन्दू धर्म ने वे इस समाजिक अभिशाप का निराकरण नही किया है इस लिए अम्बेडकर का विचार था कि हिन्दू धर्म वास्तव मे आधार्मिक है।4

अम्बेडकर जी ने हिन्दु दर्शन मे प्रयुक्त धर्म'को नकार कर बौद्ध धर्म मे स्वीकृत धम्म' शब्द की व्यख्या की है। धम्म मे ईश्वर के स्थान पर नैतिकता की स्थापना की गयी हैं इस लिए अम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म सम्पूर्ण मानवता का धर्म है। धम्म के अनुसार सब लेाग समान है, कोई नीचा या ऊॅचा नही है इसके अलवा बौद्ध दर्शन मे करूणा और दया को महत्व दिया गया है,वर्ण व्यवस्था को नहीं। इन मुख्य तर्को के आधार पर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अम्बेडकर के हिन्दू धर्म त्यागने का यह अर्थ कतई नही समझना चाहिए किवे भारतिय संस्कृति के विरूद्ध थे। उन्होन कहा था कि'' बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है मैने इस बात का ख्याल रखा है कि मेरे धर्म परिवर्तन से इस देश की परम्परओ, संस्कृति और इतिहास पर आघात न पहुंचे। हिन्दू धर्म को त्यागने के पीछे उसमे व्याप्त असमानता थी।अम्बेडकर एक ऐसे धर्म के खेाज मे थे जो किसी वर्ग विशेष का नही बल्कि सारी मानवता धर्म हो सके।

अम्बेडकर जी ने साफ कहा की धर्म निरपेक्षता, अधार्मिकता के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। इसका तो एक मात्र अर्थ है सभी धर्मो की समान रूप से इज्जत करना। उन्हाने कहा'' धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नही है कि हम लोगो की धार्मिक भावनाओ की ओर ध्यान नही देगे। इसका अर्थ केवल इतना है की यह संसद देश के लोगो पर कोई विशेष धर्म लादने का अधिकार नही रखती, यही एक परिसीमा संविधान स्वीकार करता हैं''। उनका मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं।

उपर्युक्त तथ्यो से यह निष्कर्ष निकता है कि जहाँ गांधी जी ने धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में ईश्वर में विश्वास, वर्ण व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव के पक्ष में अपना विचार रखा वही अम्बेडकर जी ने कर्मकाण्ड, छुआछूत, हिन्दू धर्म में व्याप्त असमानता के विरूद्ध तथा बौद्ध धर्म में व्याप्त समानता और पश्चिमी उदार वादी दृष्टिकोण की महत्ता को समझाने का प्रयास किया। वस्तुतः गांधी और अम्बेडकर के साधन अलग होते हुए भी साध्य या लक्ष्य एक थे – ''मानव धर्म या ''समतामूलक समाज की स्थापना करना।

संदर्भ

1. ब्रज किशोर शर्मा, ''भारत का संविधान एक परिचय'', पृष्ठ 111
2. डा0 एम0 सी0 जोशी, ''गांधी, नेहरू, टैगोर और अम्बेडकर, पृष्ठ 20
3. डा0 प्रभु दत्त शर्मा, आधुनिक राजनीतिक विचारो का इतिहास पृष्ठ 526
4. डा0 पुरूषोत्तम दास नागर,'' आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन पृष्ठ 388